सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के कार्य

सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन आरटीआई सेल, आरटीआई मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरटीआई सेल प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई प्रकोष्ठ आरटीआई आवेदनों/ अपीलों से संबंधित त्रैमासिक विवरण सीआईसी को भेजने के लिए उत्तरदायी है। आरटीआई वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्राप्त सभी आरटीआई आवेदन/अपील संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को भेजी जाती है।